42

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1526—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—10—08 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 532/निग0/07—08

.....

1.रामावतार तनय श्री साधुराम पंडित
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना
म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.श्री अभिराम प्रसाद तनय श्री परमे वर
निवासी—ग्राम जनार्दपुर तह0रामपुर बाघेलान
जिला—सतना
2. म0 प्र0 शासन

.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक —1 पूर्व से एक पक्षीय है
अनावेदक—2 की ओर से पैनल अभिभाषक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के विरूद्ध आदेश दिनांक 25—09—08 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित भूमियो के नामांतरण बावत आवेदन पत्र सहिता की धारा 109/110 के तहत प्रस्तुत किया गया जहॉ पर तहसीलदार के द्वारा विचारण पश्चात् नामांतरण आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध गैर निगरानीकर्ता कमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गयी जहां पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 12.03.08 के तहत गैर निगरानीकर्ता क–1 की अपील प्रस्तुत हेतु अनुमति प्रदान कर विलंव मांफ कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी उनके द्वारा दिनांक 22.8.10 को निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये। मेरे द्वारा अधिरस्थ न्यायालय के अभिलेखो का अवलोकन किया गया एंव विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अवलोकन से स्पश्ट होता है कि विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता द्वारा गैर निगरीकर्ता के रुप में स्व.भगवतराम डिमहा को पक्षकार बनाया गया था विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.04.06 को प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 22.05.06 को प्रकरण का निराकरण किया है। विचारण न्यायालय में गैर निगरानीकर्ता क–1 को पक्षकार भी नही बनाया गया है इसी से विचारण न्यायालय की कार्यवाही दूशित प्रमाणित है । अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के द्वारा अठाये गये बिन्दुओ को गुणदोष में निर्णीत करने का निष्कर्ष दिया है तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये गैर निगरानीकर्ता क–1 को विलंब मांफी का लाभ प्रदान किया है। जो विधिसंगत है भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 मे है कि यदि व्यक्ति पक्षकार द्वारा विलंब का समुचित व समाधानप्रद रुप से

युक्तियुक्त कारण दर्शित किया जाता है तो विलंव उदारतापूर्वक मांफ किया जाना चाहिये गैर निगरानीकर्ता क–1 ने अपने आपको हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों से प्रमाणित किया है, जिसे अपर आयुक्त रीवा द्वारा स्थिर रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः उनका आदेश दिनांक 22.10.08 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5–उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमाक 532/निग0/07–08 में पारित आदेश दिनांक 22.10.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सरहीन व बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल ग्वालियर
ग्वालियर